852 /

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक–41 / एस0पी0एम0यू0 / एन0एच0एम0 / आयुष / Contingency / 2015–16 / दिनांक– 14/10/15

विषयः– मेनस्ट्रीमिंग ऑफ आयुष के अर्न्तगत वित्तीय वर्ष 2015–16 में आयुष विंग की Contingency हेतु धनराशि एवं दिशा–निर्देश के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 की राज्य कार्ययोजना में FMR Code- A.10.1.11.4 पर 84 आयुष विंग की Contingency हेतु धनराशि रु0 20,000.00 प्रति आयुष विंग की दर से 16.80 लाख की धनराशि की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

उक्त के क्रम में 84 आयुष विंग हेतु रु0 20,000 प्रति आयुष विंग की दर से कुल रु0 16.80 लाख की धनराशि जनपदों के जिला स्वास्थ्य समिति के खाते में निम्न तालिकानुसार अवमुक्त की गयी है–

S.No.	District	No of AYUSH Wing	Contingency for AYUSH wing @ Rs.20000/AYUSH wing
1	Agra	1	20000
2	Aligarh	2	40000
3	Allahabad	1	20000
4	Ambedkarnagar	1	20000
5	Amroha	1	20000
6	Auraiya	1	20000
7	Azamgarh	1	20000
8	Badaun	1	20000
9	Baghpat	1	20000
10	Bahraich	1	20000
11	Ballia	1	20000
12	Balrampur	1	20000
13	Banda	1	20000
14	Barabanki	1	20000
15	Bareilly	1	20000
16	Basti	1	20000
17	Bhadoi	1	20000
18	Bijnor	1	20000
19	Bulandshahar	1	20000
20	Chandauli	1	20000
21	Chitrakoot	1	20000
22	CSM Nagar (Amethi)	1	20000
23	Deoria	1	20000
24	Etah	1	20000
25	Etawah	1	20000
26	Faizabad	2	40000
27	Farrukhabad	1	20000
28	Fatehpur	1	20000
29	Firozabad	1	20000
30	Gautambudh nagar	1	20000
31	Gaziabad	1	20000
32	Gazipur	1	20000
33	Gonda	1	20000
34	Gorakhpur	1	20000

JD(AYU)

S.No.	District	No of AYUSH Wing	Contingency for AYUSH wing @ Rs.20000/AYUSH wing
35	Hamirpur	1	20000
36	Hapur	1	20000
37	Hardoi	1	20000
38	Hathras	1	20000
39	Jalaun	1	20000
40	Jaunpur	1	20000
41	Jhansi	1	20000
42	Kannauj	1	20000
43	Kasganj	1	20000
44	Kausambi	1	20000
45	KNP Nagar	2	40000
46	Kushinagar	1	20000
47	Lakhimpur	1	20000
48	Lalitpur	1	20000
49	Lucknow	6	120000
50	Maharajganj	1	20000
51	Mahoba	1	20000
52	Mainpuri	1	20000
53	Mathura	1	20000
54	Mau	1	20000
55	Meerut	1	20000
56	Mirzapur	1	20000
57	Moradabad	1	20000
58	Muzaffarnagar	1	20000
59	Pilibhit	1	20000
60	Pratapgarh	1	20000
61	Raebareli	1	20000
62	Ramabai Nagar	1	20000
63	Rampur	1	20000
64	Saharanpur	1	20000
65	Sambhal	1	20000
66	Sant kabir nagar	1	20000
67	Shahjahanpur	1	20000
68	Shamli (Prabudh nagar)	1	20000
69	Shrawasti	1	20000
70	Siddharthnagar	1	20000
71	Sitapur	1	20000
72	Sonebhadra	1	20000
73	Sultanpur	1	20000
74	Unnao	1	20000
75	Varanasi	2	40000
Total		84	1680000

जनपदों को अवमुक्त की गयी धनराशि के उपयोग करते समय निम्न निर्देशों का अनिवार्यतः पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1. FMR Code- A.10.1.11.4 पर आयुष विंग की Contingency हेतु वित्तीय वर्ष 2015–16 में धनराशि रु0 20,000.00 प्रति आयुष विंग की दर से जनपदों को अवमुक्त की गयी है जिसका व्यय उपरोक्त फाट में आवंटित धनराशि की सीमा के अन्दर आयुष विंग हेतु ही किया जायेगा।
2. Contingency fund का प्रयोग आयुष विंग में आयुष ओ0पी0डी0 के सुचारु रुप से संचालन हेतु आवश्यक व्ययों के सम्बन्ध में किया जाना है।
3. Contingency मद से आयुष विंग में आयुष चिकित्सकों द्वारा की जा रही आयुष ओ0पी0डी0 के संचालन हेतु स्टेशनरी, फोटो कॉपी, फैक्स, तौलिया, साबुन, बल्ब, पर्दे, झाड़ू, डस्टबिन, इत्यादि आवश्यकताओं की पूर्ति तथा आयुष विंग में तैनात योग विशेषज्ञों द्वारा योग विधा से मरीजों को क्रियात्मक अभ्यास तथा षड्कर्म इत्यादि कराने हेतु आवश्यक सहायक सामग्री यथा चादरें, दरी, चटाई, नेति पात्र इत्यादि हेतु व्यय सक्षम अधिकारी से अनुमति के पश्चात् किया जायेगा।

4. Contingency मद से टेलीफोन, फैक्स/फोटो कॉपी मशीन, कम्प्यूटर इत्यादि का किसी भी अवस्था में क्रय नहीं किया जायेगा।

5. Contingency मद से धनराशि के उपभोग के समय सुनिश्चित करना चाहिये की उक्त मद में किसी अन्य स्रोत से धनराशि आवंटित ना की गयी हो। साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित किया जाये कि एक कार्यक्रम की धनराशि दूसरे कार्यक्रमों में स्थानान्तरित न की जाये।

6. Contingency मद से अनुमोदनोपरान्त व्यय की गयी धनराशि का बिल सक्षम अधिकारी से प्रमाणित करा कर मुख्य चिकित्साधिकारी को प्रस्तुत करना होगा। जिसपर मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा व्यय धनराशि का भुगतान उक्त के खाते में किया जायेगा।

7. प्रत्येक आयुष विंग में Contingency मद में व्यय हेतु एक रजिस्टर बनाया जाये जिसमें किये गये व्यय का दिनांक सहित पूर्ण विवरण दर्ज किया जायेगा।

8. प्रत्येक माह का मासिक व्यय विवरण (एफ०एम०आर०) लेखापुस्तिकों की प्रविष्टियों से मिलान कर तैयार किया जाये तथा यह भी सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक माह की एफ०एम०आर० में दर्शायी गयी धनराशि एवं लेखापुस्तिकों में प्रविष्टि की गयी धनराशि में मदवार कोई अन्तर न रहें।

9. व्यय से सम्बन्धित समस्त बिल वाउचर्स व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखना एवं मासिक कान्करेन्ट आडिटर, स्टेटच्यूरी आडिटर, महालेखाकार की आडिट एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

10. धनराशि का आवंटन मात्र व्यय करने के लिए प्राधिकृत नहीं करता, अपितु आपरेशनल गाइडलाइन फार फाइनेन्शियल मैनजमेन्ट में की गयी व्यवस्था, वित्तीय नियमों, शासनादेशों, अन्य प्रभावी संगत नियमों/निर्देशों एवं राज्य कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का समस्त स्तरों पर पालन सुनिश्चित करते हुए सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा। किसी भी प्रकार की अनियमितता के लिए सक्षम प्राधिकारी/जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी उत्तरदायी होंगें।

भवदीय

(अमित कुमार घोष)
मिशन निदेशक।

7325-75-9

पत्रांक–41/एस0पी0एम0यू0/एन0एच0एम0/आयुष/**Contingency**/2015–16/ तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0 शासन।
3. महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
4. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
6. महाप्रबन्धक(मुख्यालय), राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0, लखनऊ।
7. महाप्रबन्धक, एम0आई0एस0, एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0 को इस आशय से कि पत्र की प्रति एन0एच0एम0 की वेबसाइट– www.upnrhm.gov.in पर अपलोड करने का कष्ट करें।
8. समस्त मण्डलीय परियोजना प्रबन्धक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
9. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।

14/10/15

(अमित कुमार घोष)
मिशन निदेशक।